न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—105/2020 (जीसीएमएस 2020/00037)

01. मोहम्मद शरीफ आयु 60 सालख पुत्र इब्राहिम,
02. जाफर अली आयु 61 साल पुत्र मुन्शी,
03. मोहम्मद अली आयु 56 साल, पुत्र नूरमोहम्मद,
04. अल्लामेहर आयु 50 साल पुत्र असरफ अली,
05. शब्बीर आयु 65 साल पुत्र बशीर,
06. मो0 यामीन आयु 60 साल पुत्र रुकमुदीन,
07. अब्दुल अजीज आयु 62 साल पुत्र अमीरुदीन,
08. रहमतुल्ला आयु 75 साल पुत्र इमामुदीन,
09. मो0 हुसैन आयु 61 साल पुत्र जुमरदीन,
10. शौकत अली आयु 61 साल पुत्र कासम, जाति समस्त लुहार (मुसलमान) निवासीगण, सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू।

———अपीलांट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर झुंझुनू, राजस्थान।

———रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक 23.09.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू क्रमांक प. 12(3)( )राज/08/3895—914 दिनाँक 23.08.2008 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है ग्राम सुलताना में आराजी खसरा नम्बर 999 तादादी 20 बीघा 13 बिसवा हाल खसरा नम्बर 312, (312/1 एवं 312/2) रकबा 5.21 हैक्टयर स्थित हैं जो उक्त जमीन पहले ठिकाना सुलताना के शामलात सातौ पाना के तहत की जमीन रही है जो ग्राम सुलताना में लुहार मुसलमानों के 300 घरों से अधिक आबादी है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम सुलताना से लुहार मुसलमान समुदाय के लोग इस जमीन को प्राचीनकाल से सार्वजनिक काम में लेते रहे है इस प्रकार ठिकाना के समय से ही उक्त आराजी पर ग्राम सुलताना के लुहार मुसलमान समुदाय का निरन्तर कब्जा रहा एवं इस जमीन में उक्त समुदाय के कब्रिस्तान रहे और इस जमीन पर उक्त समुदाय के लोग नमाज पढ़ते रहे है और आज भी पढ़ते है तथा अन्य धार्मिक कार्यों के काम में लेते रहे है। उन्होने आगे कथन किया है कि तत्कालीन ठिकाना व उक्त समुदाय के व्यक्तियों के मध्य इस जमीन को लेकर विवाद चला जो तत्कालीन सिविल जज झुन्झुनू मिसल नम्बर सम्वत् 2002/164 उनवानी ठाकुर तख्तसिंह बनाम अमीरूदीन वगैरह के नाम से था जो दावा आपसी सुलह से दिनाँक 20.11.1946 को खारिज हुआ। उक्त सुलह के वक्त तत्कालीन ठिकाना ने यह माना कि उक्त जमीन पर उक्त समुदाय का कब्जा है और उक्त

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

भूमि सार्वजनिक उपयोग की है, उक्त मिसल रिकॉर्ड में तलब हो चुकी है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को किस्म बंजड़ दर्ज है और उक्त समुदाय का कब्जा होना तथा उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं होना राजस्व रिकॉर्ड से साबित हैं। उक्त भूमि पर मदरसा तथा ईदगाह बने हुए है जो उक्त समुदाय के सार्वजनिक रुप से बनाये हुए है। उक्त भूमि उक्त समुदाय की सार्वजनिक उपयोग–उपभोग की है व रही है इसी कारण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 प्रभाव में आया तब उक्त जमीन सामलात पाना सातो पाना मकबुजा पानेदारान दर्ज हुई अर्थात उक्त भूमि राजकीय भूमि नहीं रही, बाद में उक्त भूमि राजकीय भूमि दर्ज हुई। उक्त भूमि कभी भी राजकीय कार्यों की नहीं रही एवं उक्त जमीन पर कभी ठिकाना का कब्जा काश्त नहीं रहा। राजस्थान काश्तकारी कानून प्रभाव में आया तब व पहले तथा बाद में कभी भी उक्त भूमि की किस्म बंजड़ नहीं रही। उक्त भूमि में ईदगाह बना हुआ हैं। जहाँ उक्त समुदाय के लोग नमाज अदा करते है एवं अन्य धार्मिक पर्व ईदुल–जोहा एवं ईदुल–फीतर मनाये जाते है तथा उक्त भूमि पर मदरसा बना हुआ है जिसमें गरीब तथा असहाय बच्चे अध्ययन करते है, उक्त मदरसा की देखभाल रख–रखाव भी उक्त समुदाय के लोग ही करते हैं। उक्त भूमि की पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा के लिए उक्त समुदाय के लोगों ने पुख्ता चार दीवारी बनाई है। उक्त भूमि के कुछ भू–भाग पर उक्त समुदाय के लोगों के कब्रिस्तान है, जिसके हाल खसरा नम्बर 312/2 रकबा 1.00 हैक्टेयर है। उक्त भूमि का उपयोग उक्त समुदाय के लोग निकाह इत्यादि करने के काम में भी लेते है। इस प्रकार उक्त भूमि उक्त समुदाय के लोगों के उक्त वर्धित कार्यों में प्राचीनकान से सैकड़ों वर्षों से काम में हक से आ रही है। इस प्रकार उक्त भूमि में ग्राम सुलताना के लुहार मुसलमान समुदाय को कश्टमरी राईट ऑफ इजमेंट प्राप्त है, जो ठिकाना के समय से है। ठिकाना खालासा होने के उपरान्त उक्त आराजी ग्राम सुलताना के लुहार मुसलमानों के सार्वजनिक उपयोग की रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड राजकीय खाते में गलत रुप से बना हुआ है।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 312/1 रकबा 4.21 हैक्टेयर में से 2.25 हैक्टेयर भूमि ग्राम एकीकृत स्टेडियम हेतु आरक्षित गलत रुप से कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद दिनाँक 23.08.2008 को करने के आदेश दिये जो आदेश अपीलार्थीगण को बिना सुने पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित है। उन्होने आगे कथन किया है अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश दिनाँक 23.08.2008 कभी जानकारी नहीं हुई। दिनाँक 18.01.2009 को पटवारी हल्का मौके पर आए और जमीन का नाप करने लगे तो अपीलांट्स ने जमीन के नाप करने का कारण पूछा तो पटवारी हल्का ने आदेश जैर बहस के बाबत् बताया। इस पर दिनाँक 19.01.2009 को आदेश जैर बहस की नकल के लिए आवेदन पेश किया जो नकल तैयार होकर दिनाँक 21.01.2009 को मिली। इसके पश्चात् दिनाँक 22.01.2009 को वकील से सम्पर्क किया। इस प्रकार आदेश जैर बहस की जानकारी सर्वप्रथम दिनाँक 21.01.2009 को पूर्णतया नकल मिलने पर हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। दिनाँक 22.01.2009 से आज तक का समय वकील साहब को दिगर मुकदमात में व्यवस्तता के कारण अपील तैयार करने में लग गया। इस प्रकार जानकारी के रोज से अपील अपीलांट्स अन्दर मियाद पेश

है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2008 ग्राम एकीकृत स्टेडियम जमीन खसरा नम्बर 312/ में से 2.25 हैक्टयर भूमि ग्राम सुलताना को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रभावित पक्षकार प्रतीत होते है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी.स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण का मूल कथन रहा है कि भूमि विवादग्रस्त अपीलार्थीगण के समुदाय के सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्य में काम ली जा रही है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया गया ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तंथा अधीनस्थ जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2008 को ग्राम सुलताना के खसरा नम्बर 312/1 में 2.25 हैक्टयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

23/9/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/21

संभागीय आयुक्त
जयपुर।